न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— राजकेश मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 18 / 2022

उनवान

1 गीतादेवी पत्नि रतनलाल खाती उम्र—वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
2 धनराज पिता रतनलाल खाती उम्र—वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
3 हेमराज पिता रतनलाल खाती उम्र—वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
4 सु.सुनिता पुत्री रतनलाल खाती उम्र—वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

—— वादीगण

बनाम

1 सु.उर्मिला पुत्री हरदेव खाती उम्र—वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
2 सु.कन्या पुत्री हरदेव खाती उम्र—वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
3 मनीष पिता हरदेव खाती उम्र—वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
4 सु.सुशीला पुत्री हरदेव खाती उम्र—वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
5 सांवरिया लाल पिता हरदेव खाती उम्र—वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
6 गोपाल पिता जगन्नाथ खाती उम्र—वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
7 जगदीश पिता जगन्नाथ खाती उम्र—वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
8 महावीर पिता बलदेव खाती उम्र—वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
9 सत्यनारायण पिता बलदेव खाती उम्र—वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
10 रामेश्वर पिता कालू खाती उम्र—वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
11 शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
12 राज. राज्य जरिये तहसीलदार फूलियाकलां जिला शाहपुरा

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::— श्री अक्षयराज रेबारी———वादीगण अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां
श्री अनिल शर्मा————अधिवक्ता प्रतिवादी क्रम 01 से 05, 08, 09

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां जिला—शाहपुरा

(2)

निर्णय

दिनांक – 10.01.2024

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत करते हुए वादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता ने न्यायालय मे निवेदन किया की ग्राम फूलियाकलां प.ह. क्षेत्र फूलियाकलां भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां की जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 खाता संख्या 1195 की आराजी संख्या 1882, 1883, 1892, 1893, 1898, 2423, 2631, 2645, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 5771/2645 किता 14 रकबा 5.51 हैक्टयर एवं खतौनी संख्या 1203 के खसरा संख्या 4592 रकबा 0.34 हैक्टयर भूमि स्थित हैं। जिसमे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 10 का हिस्सा निहित हैं।

वादीगण शामलाती खाता होने से अपने हक काबिज हिस्से का समुचित ढंग से विकास नहीं कर सकता हैं। प्रतिवादीगण विभाजन कराने को सहमत नहीं है, एवं आये दिन इस विषय को लेकर विवाद उत्पन्न करते है। इसलिए वाद वादीगण मंजूर फरमाते हुये, वादग्रस्त खसरान का बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड से विभाजन करा एवं राजस्व रिकार्ड मे पृथक से वादीगण का नवीन खाता कायम करने की डिक्री पारित की जावे। साथ ही वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादर फरमावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दिनांक 25.04.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 06, 07, 10, 11 को कितनी ही मर्तबा आवाजें लगाये जाने के उपरान्त भी स्वयं विपक्षीगण अथवा उनकी ओर से कोई वैद्य प्रतिनिधि पैरवी हेतु हाजिर नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी क्रम 01 लगायत 05, 08, 09 की ओर जरिये नियुक्त अधिवक्ता श्री अनिल शर्मा द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत होकर रेकार्ड पर उपलब्ध है।

विपक्षीगण की ओर से प्रतिरोध/खण्डन में प्रस्तुत किये गये जवाबदावे के आधार पर प्रकरण मे 4 तनकियात कायम की गई। बाद तनकियात कायमी वादीगण पक्ष को साक्ष्य हेतु अवसर प्रदत्त किया गया। वादीगण पक्ष द्वारा बतौर गवाह श्री प्रहलाद पिता बन्ना माली, श्री राजू पिता नाथू मीणा, श्री धनराज पिता रतनलाल खाती के शहादत्त में प्रस्तुत कराये गये शपथ–पत्रों को रेकार्ड पर लिया गया। प्रस्तुत कराये गये के शपथपत्रों पर क्रमशः पी.डब्ल्यू–01, 02, 03 एवं दावे के समर्थन में राजस्व अभिलेखों पर लाल स्याही से प्रदर्श अंकन किए गये। प्रतिवादी पक्ष का जिरह का अवसर समाप्त कर दिये जाने से उपस्थित आये गवाहान के बयानात कलमबद्ध कराये गये।

पत्रावली में नियत प्रतिवादी पक्ष द्वारा डी.डब्ल्यू. प्रस्तुत नही कर, सीधे बहस प्रस्तुत करना चाहने से प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां जिला–शाहपुरा

(3)

प्रकरण मे 04 तनकियात कायम होकर बाद विश्लेषण निम्नानुसार निर्णित की गई।

तनकी संख्या 01 ''आया वादीगण वादग्रस्त आराजीयात का वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 से 10 के मध्य हक हिस्से अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन कराये जाने के अधिकारी है ? ''

बा–जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 02 ! '' आया वादग्रस्त आराजीयात से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा पुनः वादीगण को दिलवाये जाने ईम्दाद वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है।''

बा–जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 03 ! '' आया वादग्रस्त आराजीयात में निहित वादीगण के हक हिस्से के कब्जे काश्त एंव उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार रूकावट न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावें इस आशय कि विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से 10 स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? ''

बा–जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 01, 02, 03 को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण के जिम्मे रखा गया।

प्रदर्श दस्तावेज संख्या 01, 05 हाल जमाबन्दी संवत 2076–2079 से वादीगण का वादग्रस्त खसरान में हक आधिपत्य निहित होना साबित पाया गया है। उस लिहाज से वादीगण बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन कराने के अधिकारी है। इसी प्रकार से वादग्रस्त खसरान में निहित वादीगण के काबिज हक हिस्से अनुसार विभाजन उपरान्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का भी अधिकारी है।

अतः तनकी संख्या 01, 02, 03 ब–हक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या 04 ! आया वादग्रस्त भूमि का वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 से 10 के मध्य हक हिस्से/कब्जे काश्त अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन कर दिया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। लेकिन प्रत्येक सहखातेदारान के हिस्से में आने वाले खसरान तक पहुंच मार्ग भी वक्त तैयारी विभाजन स्कीम छोडा जावें।

बाजिम्मे प्रतिवादी संख्या 01 से 05, 08, 09

तनकी संख्या 04 को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी संख्या 01 से 05, 08, 09 पक्ष के जिम्मे रखा गया।

प्रतिवादीगण के जिम्मे कायम की गई तनकी में उनके द्वारा वादग्रस्त खसरान का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किए जाने में किसी प्रकार की उजर/आपत्ति नही होना व्यक्त किया गया है एवं जो जवाबदावें से भी सिद्ध होता है।

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां जिला–शाहपुरा

(4)

साथ ही साथ सहखातेदारान के हिस्से में आने वाले खसरान तक पहुंच मार्ग छोडे जाने का अधिकार प्रतिवादीगण के साथ साथ वादीगण को भी स्वतः प्राप्त है।

अतः तनकी संख्या 04 व–हक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण के निर्णित की जाती हैं।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के जिम्मे कायम की गई प्रत्येक तनकीयात को सिद्ध/प्रमाणित कराने में सफल रहें है। अतः इस प्रकरण में कायम 04 तनकियात का निर्णय किये जाने के पश्चात वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायालय वादीगण के पक्ष में सहमती से स्वीकार किये जाने योग्य मानता है।

अतः इस प्रकार प्रकरण का अधो–पांत अवलोकन करने से तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की तायद मे प्रस्तुत शपथपत्र तथा शहादत्त वादी में प्रस्तुत शपथपत्र, वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं प्रर्दश कराये गये दस्तावेज के अध्ययन से एवं प्रकरण में कायम तनकियात वाद विश्लेषण वादीगण के पक्ष में निर्णित होने से वादीगण का वादपत्र व–हक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सहमती से स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

::: आदेश :::

वाद–पत्र वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सहमति से इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि ग्राम फूलियाकलां प.ह. क्षेत्र फूलियाकलां भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र फूलियाकलां तहसील फूलियाकंला की जमावंदी सम्वत 2076 से 2079 खाता संख्या 1195 की आराजी संख्या 1882, 1883, 1892, 1893, 1898, 2423, 2631, 2645, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 5771/2645 किता 14 रकवा 5.51 हैक्टयर एवं खतौनी संख्या 1203 के खसरा संख्या 4592 रकवा 0.34 हैक्टयर **भूमि का** वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 10 के मध्य हक काविज हिस्से अनुसार विभाजन किया जावें इस हेतु तहसीलदार फुलियाकंला को कमीश्नर नियुक्त किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये, वादग्रस्त खसरे का बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड विभाजन करते हुये विभाजन सूची/स्कीम मय नक्शा ट्रेस तैयार कर न्यायालय मे प्रस्तुत करे। तद्नुसार प्रारम्भिक डिक्री मुर्तिव हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकंला
जिला शाहपुरा

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां जिला-शाहपुरा